बी-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

यशोदा देवी, पति-मोहन दास, ग्राम-बडासी,
थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-जबरा,
थाना नं0-154, खाता संख्या-10, प्लॉट संख्या-1394 रकवा-
0.04 एकड़ भूमि सहोदरी देवी पति-नान्दो राम, ग्राम-झरपो,
थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु
आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन
वाद संख्या 79/2018 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला
कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल
अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है

कि -

क्रेता सहोदरी देवी एवं विक्रेता यशोदा देवी अनुसूचित
जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं।
बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं
आयेंगे। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की
अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 04 डी0 भूमि बचेगी।
खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं कैलु कांदू के
नाम दर्ज है। भूमि आवेदिका को केवाला से हासिल है। पंजी-II
के पृष्ट सं0 132/V पर स्वयं के नाम जमाबंदी कायम है एवं
ऑनलाईन रसीद वर्ष 2018-19 तक निर्गत है। साथ ही लगान
रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत्
प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा
की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता
यशोदा देवी का अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत्
ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या
RES/1601/160/14/00648 दिनांक 02.03.2014 एवं अनुमण्डल
पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या
JHCC/2017/604119 दिनांक 04.06.2017 और क्रेता सहोदरी देवी
का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन
स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/1002026 दिनांक

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर क[illegible] कार्रवाई के ब[illegible] टिप्पणी तारीख[illegible]
1	2	3
	22.07.2017 एवं अंचल अधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCC/2017/908617 दिनांक–10.07.2017 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर, ग्राम–जबरा, थाना नं0–154, खाता संख्या–10, प्लॉट संख्या–1394 रकवा– 0.04 एकड़ भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 11/11/20 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। लेखापित एवं संशोधित 11/11/20 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	